एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2610/2003

15.3.2007

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक</u>

श्री शैलेन्द्र सिंह, अधिवक्ता याची।
श्री तनवीर अहमद वास्ते श्री भंवर बागड़ी, अधिवक्ता अयाची सं.2

इस रिट याचिका में यानी ने मूलत: यह अनुतोष मांगा था कि अयाची संख्या 3 डीन, एम.पी.शाह मेडिकल कालेज, जामनगर, गुजरात के द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.4.2003 को अवैध घोषित किया जाकर उन्हें यह निर्देश दिया जावे कि याची को एनेस्थीसिया के डिप्लोमा कोर्स में उनके यहां प्रवेश देवे। अयाचीगण की ओर से रिट याचिका के जवाब में यह कथन किया गया है कि नियमानुसार याची को उसके चयन से 15 दिवस के अन्दर उक्त कालेज में जोईनिंग देनी थी, किन्तु याची ने उक्त 15 दिवस के अन्दर जोईनिंग नहीं दी जिसके परिणामस्वरुप उसकी सीट को राज्य के कोटे में समाहित कर दिया गया। उन्होनें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आनन्द एस.बिजय बनाम स्टेट आफ केरला व अन्य 1993 (3) एस.सी.सी. पेज 80 का हवाला देते हुए यह कथन किया कि एक ही चयन सूची जारी की जायेगी, उसके पश्चात कोई दूसरी या तीसरी चयन सूची प्रकाशित नहीं होगी।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अब जबकि शैक्षणिक सत्र 2003, जिसमें कि याची का प्रवेश हेतु चयन किया गया था, के डिप्लोमा कोर्स की समयावधि पूर्ण हो चुकी है, याची को इस स्तर पर कोई अनुतोष दिया जाना सम्भव नहीं होगा। मैं इस रिट याचिका को आगे चलाये रखने का कोई औचित्य नहीं पाता हूं। अत: यह रिट याचिका इसी आधार पर निरस्त की जाती है।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति